आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

18.7.17

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 – 223/2016–17

श्री प्रसादी मंडल उर्फ ततमा, पिता–स्व0 टुप्पन ततमा, ग्राम–रजौला, अंचल–कुर्साकांटा, जिला–अररिया

बनाम

श्री देव नारायण पासवान, पिता–बालदेव पासवान, ग्राम–सुन्दरी, थाना–कुर्साकांटा, अंचल–कुर्साकांटा, जिला–अररिया

आदेश

प्रस्तुत वाद अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक 903/भू0सु0, दिनांक 22.9.2016 द्वारा बी0एल0टी0 वाद सं0 74/2013 श्री प्रसाद मंडल उर्फ ततमा, पिता–स्व0 टुप्पन मंडल, सा0–रजौला बनाम समाहर्त्ता, अररिया, देवनारायण पासवान एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.11.2014 के आलोक में अंचल कुर्साकांटा के जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 01/2016–17 के साथ निम्न विवरण की भूमि का लाल कार्ड के आधार पर दर्ज जमाबंदी सं0 379 को रद्द करने की अनुशंसा सहित इस न्यायालय को प्रेषित किया गया है।

जमीन का विवरण

मौजा	थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा	जमाबंदी सं0/ जमाबंदी रैयत का नाम
चैता अंचल–कुर्साकांटा	93	कायमी खाता 23/ सिकमी खाता 39	323	0.83 ए0	379 देव नारायण पासवान, पिता–बालदेव पासवान, सा0–सुन्दरी, अंचल–कुर्साकांटा

पक्षकारों को सूचना निर्गत की गई। पक्षकार न्यायालय में अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर हुए। विपक्षी को प्रतिउत्तर दाखिल किये जाने हेतु बार–बार मौका दिया गया। किन्तु विपक्षी की ओर से प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया।

आवेदक का दावा है कि वादग्रस्त भूमि उनके पूर्वज ललटू ततमा के नाम सिकमी खतियान दर्ज है। जिसका सर्वे खतियान महावीर विश्वास, पिता–बिलटु विश्वास, सा0–कपरफोड़ा के नाम दर्ज है एवं सिकमी खाता 39 आवेदक के पूर्वज ललटु ततमा, पिता–लोटन ततमा के नाम से दर्ज है। खतियानी रैयत बहुत बड़े भूधारी थे। जिसके

विरूद्ध भूहदबंदी अधिनियम के तहत सिलिंग का मुकदमा चला और प्रश्नगत भूमि अधिसूचना सं0 3, दिनांक 7.11.1993 द्वारा अधिशेष घोषित होकर लाल कार्ड बंदोबस्ती अभिलेख सं0 06/1992–93 द्वारा वादग्रस्त भूमि विपक्षी देव नारायण पासवान, पिता–बालदेव पासवान, सा0–सुन्दरी के साथ लाल कार्ड द्वारा बंदोबस्त कर दी गई एवं जमाबंदी सं0 379 विपक्षी के नाम दर्ज कर लगान रसीद वर्ष 2014–15 तक का निर्गत किया गया है। जिसपर लाल कार्डधारी का दखल कब्जा नहीं है। जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा बिहार लैण्ड ट्रिब्यूनल, पटना में वाद सं0 74/2013 दाखिल किया गया। जिसमें मान्नीय न्यायाधीश ने वादग्रस्त भूमि के संदर्भ में स्पष्ट आदेश पारित करते हुए लाल कार्ड रद्द करने तथा गजट प्रकाशन 1991 से वर्णित भूमि को हटाकर संशोधित गजट प्रकाशित करने का निर्णय दिया गया है। अंचल अधिकारी द्वारा लाल कार्ड की जमाबंदी सं0 379 को रद्द करने का प्रस्ताव इस अभिलेख में दिया गया है।

अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों, बी0एल0टी0 वाद सं0 74/2013 में मान्नीय अध्यक्ष, बिहार भूमि न्यायाधिकरण, पटना द्वारा दिनांक 21.11.2014 को पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि समाहर्त्ता, अररिया को भूहदबंदी वाद सं0 28/1991–92 में प्रकाशित गजट में धारा 11(1) एवं 15(1) के तहत वादग्रस्त भूमि को भूहदबंदी से मुक्त करते हुए संशोधित गजट प्रकाशन किये जाने का आदेश पारित किया गया है। जिसका अनुपालन करने हेतु भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया/अंचल अधिकारी, कुर्साकांटा को पत्रांक 374/वि0, दिनांक 11.3.2015, स्मार पत्र सं0 655/वि0, दिनांक 15.5.2015, स्मार पत्र सं0 966/वि0, दिनांक 10.7.2015 तथा पत्रांक 1180/वि0, दिनांक 18.8.2015 द्वारा निदेशित किया गया है। इस न्यायालय द्वारा भी अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया से कार्यालय पत्रांक 16/रा0(न्या0), दिनांक 10.03.2017, स्मार पत्रांक 32/रा0(न्या0), दिनांक 11.4.2017, स्मार पत्रांक 42/रा0(न्या0), दिनांक 3.5.2017 द्वारा संशोधित गजट प्रकाशन एवं लाल कार्ड रद्द संबंधी प्रतिवेदन की माँग की गई, जो कई स्मारोपरांत अद्यतन इस न्यायालय को प्राप्त नहीं हुआ। जिससे स्पष्ट है कि बी0एल0टी0 वाद सं0 74/2013 (श्री प्रसाद मंडल उर्फ ततमा बनाम बिहार सरकार एवं अन्य) में पारित आदेश का अनुपालन नहीं हुआ है और बिना अनुपालन के ही अंचलाधिकारी, कुर्साकांटा द्वारा वादग्रस्त भूमि का विपक्षी देव नारायण पासवान के नाम जमाबंदी सं0 379 जो भूहदबंदी अधिनियम के अन्तर्गत अधिशेष घोषित भूमि का लाल कार्ड के आधार पर दर्ज है, को रद्द करने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है, जिसकी अनुशंसा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया एवं अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया द्वारा भी की गई है। जबकि अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया को मान्नीय अध्यक्ष, बिहार भूमि न्यायाधिकरण, पटना के पारित आदेश दिनांक 21.11.2014 का अनुपालन के तहत अधिशेष घोषित वादग्रस्त भूमि को भूहदबंदी से मुक्त करते हुए संशोधित गजट का प्रकाशन किया जाना था और विपक्षी के निर्गत लाल कार्ड को रद्द

किये जाने का प्रस्ताव समाहर्त्ता महोदय को प्रेषित किया जाना चाहिए था। विपक्षी के नाम निर्गत लाल कार्ड रद्द हो जाने पर जमाबंदी स्वतः रद्द हो जायेगी।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया को निदेश दिया जाता है कि अधिसूचना सं0 3, दिनांक 7.11.1993 द्वारा अधिशेष घोषित वादग्रस्त भूमि को बी0एल0टी0 वाद सं0 74/2013 में मान्नीय अध्यक्ष, बिहार भूमि न्यायाधिकरण, पटना के पारित आदेश एवं जिला पदाधिकारी के पत्रांक 374/वि0, दिनांक 11.03.2015 के आलोक में अनुपालन सुनिश्चित करते हुए संशोधित गजट का प्रकाशन एक माह के अंदर करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही लाल कार्ड बन्दोबस्ती रद्द करने का प्रस्ताव समाहर्त्ता महोदय को भेजेंगे।

पारित आदेश की प्रति अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया/अंचल अधिकारी, कुर्साकांटा को भेंजे।

लेखापित एवं संसोधित

ह०
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ह०
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ज्ञापांक 99/रा0(न्या0), अररिया, दिनांक 18/07/2017

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, कुर्साकांटा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

18.7.17
अपर समाहर्त्ता,
अररिया